(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

<u>सार्वजनिक सूचना सं0 41/2009-2014(आर0ई0-2012)</u>

नई दिल्ली, दिनांक: 28 दिसम्बर, 2012

विदेश व्यापार नीति 2009-14 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतदद्वारा, प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (आरई-2012)/2009-14 में एक नया पैराग्राफ अर्थात पैरा 3.8.3 तत्काल प्रभाव से जोड़ते हैं :-

''3.8.3 उत्तरोतर निर्यात प्रोत्साहन स्कीम हेतु प्रक्रिया

(क) उत्तरोतर निर्यात प्रोत्साहन स्कीम से संबंधित नीति, विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.14.4 मे दी गई है।

(ख) इस स्कीम के तहत लाभ प्रदान करने हेतु आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 3च (इस एएनएफ 3च को बाद में अधिसूचित किया जाएगा) में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। स्कीम के प्रयोजन के लिए, निर्यात कारोबार किसी अन्य आई ई सी धारक से अंतरित किए जाने हेतु अनुमत नहीं होगा। चूँकि लाभ, प्राप्ति आधार पर ग्राह्य है, इसलिए आवेदन 01 अप्रैल, 2013 के बाद प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 3.11.9 के अनुसार होगी तथा प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 2009-14 के पैरा 9.3 के विलम्ब कटौती प्रावधान लागू होंगे।

(ग) उत्तरोतर वृद्धि नामित बाजारों में मुक्त रुप से परिवर्तनशील मुद्रा के अनुसार होनी चाहिए ।

(घ) नामित बाजारों में आगमन के प्रमाण के लिए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 3.8.2 के प्रावधान लागू होंगे ।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0.01/61/180/188/एएम13/पीसी-3 से जारी)